उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या- 08 /2020/72/92-2-20-96एम/2019
लखनऊ :: दिनांक:: 15 जनवरी 2020

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआइ्रयू-देवरिया में कार्यरत रहने के दौरान प्रधानमंत्रीग्राम सडक योजना-3 के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में स्वीकृति हेतु 2500 किमी0 का डी0पी0आर0 गठन किये जाने के संदर्भ में उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण द्वारा समय-समय पर स्मृति कराये जाने एवं समीक्षा बैठक में निर्देशित किये जाने के उपरांत भी वांछित डी0पी0आर0 गठन की कार्यवाही समय से सम्पन्न न कराये जाने की अनियमितता हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने हेतु श्री टी0एन0 राय, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू0-देवरिया को आरोप पत्र देकर उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-अयोध्या(फैजाबाद) को पदेन जांच अधिकारी नामित किये जाने तथा सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू0-देवरिया को विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) शासन में निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 08 /2020/72(1)/92-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-अयोध्या (फैजाबाद) को शासन द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र **(संलग्नक सहित)** मूलरूप में इस आशय से प्रेषित कि नियमानुसार जांच कार्यवाही पूर्ण करते हुये जांच आख्या शासन को निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- प्रस्तुतकर्ताअधिकारी/सहायक अभियंता ग्रा0अ0वि0 पीआईयू0-देवरिया।

4- श्री टी0एन0 राय, अधि0अभि0, ग्रा0अभि0वि0, पी0आई0यू0-देवरिया द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उपसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in